इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 15, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2024

क्र. एफ—4—89—2018—पच्चीस—1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018'' में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. **नियम 2 के उप-नियम (थ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किए जाएं अर्थात्:-**

(द) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 2 जुलाई, 2019 तथा परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 18 जुलाई, 2019 तथा समय समय पर जारी किसी अन्य आदेश में यथाविनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई नागरिक;

(ध) **"चयन परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा।

2. **नियम 5 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-**

"(3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक संगीत (गायन/वादन/नृत्य), अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं अध्यापक (गायन/वादन/नृत्य) को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य), माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।"

3. **नियम 5 के उप-नियम (4) (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-**

(4) (क) सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा उपरांत चयन परीक्षा द्वारा चयन ।

4. **नियम 5 के उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएं, अर्थात्:-**

"(5) ऐसे अभ्यर्थी के लिए, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी, जिसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक-पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी।"।

5. **नियम 11 के उप-नियम (1) तथा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-**

"(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक ख़ेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन, वादन, नृत्य), माध्यमिक शिक्षक खेल, कोच, माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन, वादन, नृत्य) के पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे इसमें इसके पश्चात् पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट किया गया है, विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी, एवं वर्ष 2018 एवं इसके पश्चात् आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए की विधिमान्यता आजीवन होगी।"।

6. **नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-**

"(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% पद आरक्षित रखे जाएंगे।"।

7. **नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-**

"(दो) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण, प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

(1) दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि।

(2) बहरे और कम सुनने वाले।

(3) लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।

(4) बहु विकलांगता में उपरोक्तानुसार (1), (2) तथा (3) की निःशक्तता सम्मिलित है। (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/अ.प्र./1 दिनांक 30 जून, 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही आरक्षण देय होगा।"।

8. नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-

न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र तभी पूर्ण माने जाएंगें जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 60 दिवस अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य किया हो। इसके अतिरिक्त तीनों सत्रों का न्यूनतम कुल 200 दिवस का अध्यापन अनुभव अनिवार्य होगा।"

9. नियम 12 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-

शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी।"

10. नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए.-

"22. व्यावृत्ति- इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबन्धित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।"।

11. अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)
वर्गीकरण वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	**सेवा में सम्मिलित पदों के नाम**	**पदों की कुल संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**नियुक्तिकर्ता अधिकारी**	**अभ्युक्तियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	10501	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-9 36200-114800)	आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश	-
2.	कोच	52	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-9 36200-114800)	आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश	-
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	3451	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-9 36200-114800)	संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य	-
4.	माध्यमिक शिक्षक	43734	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य	-
5.	माध्यमिक शिक्षक (खेल)	208	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य	-
6.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	81	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य	-
7.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	3397	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-8 रूपए 32800-103600)	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य	-
8.	प्राथमिक शिक्षक	54625	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-6 रूपए 25300-80500)	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य	-
9.	प्राथमिक शिक्षक खेल	840	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-6 रूपए 25300-80500)	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य	-
10.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	2245	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-6 रूपए 25300-80500)	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य	-
11.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	112	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में पे-लेवल-6 रूपए 25300-80500)	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य	-

अनुसूची-दो
(नियम 5, 15 और 16 देखिए)
भर्ती का तारीका

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	10501	50%	50%
2.	कोच	52	75%	25%
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	3451	-	100%
4.	माध्यमिक शिक्षक	43734	50%	50%
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	208	50%	50%
6.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	81	50%	50%
7.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	3397	-	100%
8.	प्राथमिक शिक्षक	54625	100%	-
9.	प्राथमिक शिक्षक खेल	840	100%	-
10.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	2245	100%	-
11.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	112	100%	-

नोट:- (1) जैसे जैसे विभाग के नियमित कैडर के कार्यरत शिक्षक, यथा, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता सेवानिवृत होते जाएंगे (डाइंग केडर), वैसे वैसे उनके पद समकक्ष प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों में जुड़ते जाएंगे।

(2) उच्च माध्यमिक शिक्षक (कृषि) के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(3) शासन के पत्र क्रमांक एफ-4-581/99/1/25 आदेश भोपाल, दिनांक 10/11/1999 से विभागीय संरचना में सीधी भर्ती के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याता को 'डाइंग केडर' घोषित किया गया है, इन आदेश के उपबंधों के अनुसार पदों पर कार्यरत शिक्षको की पूर्ववत पदोन्नति, भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार विभाग द्वारा की जाती रहेगी।

(4) विभाग में वर्तमान में कार्यरत व्याख्याताओं को प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी, तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक शिक्षक की पदोन्नति प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर की जाएगी।

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)
आवश्यक शैक्षणिक अर्हता तथा आयु सीमा

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. अथवा उसके समकक्ष।	1.निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी.एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा ।
2.	कोच	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	एम.पी.एड.द्वितीय श्रेणी/न्यूनतम एक वर्षीय एन.आई.एस. प्रशिक्षण प्राप्त।	शासन द्वारा निर्धारित चयन परीक्षा से चयन।
3.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	(1) संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड.)। अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटीई विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड)। अथवा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. संबंधित विषय से तात्पर्य है कि आधार पाठ्यक्रम को छोडकर, स्नातक के तीनों सत्रों में संबंधित विषय अनिवार्य हैं। 4. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/ व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यताप्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एड/ बी.एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित विषय के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक बी.एल.एड। अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।	5. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
4.	माध्यमिक शिक्षक खेल	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई) अथवा समकक्ष।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
5.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यताप्राप्त संस्थान से गायन/वादन/नृत्य में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि, बी.म्यूज/एम म्यूज/विद्/कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष कोई उपाधि ।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
6.	प्राथमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। अथवा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				50% अंकों के साथ स्नातक तथा जिसने एनसीटीई से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड) की उपाधि प्राप्त की है, उन्हें कक्षा 1 से 5 तक की पढाने के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । किन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा एनसीटीई विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा	प्रावधान शिथिल कर सकेगा। 3. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एलएड/बी.एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। 4. प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए व्यावसायिक योग्यता-विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगें। 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष	
7.	प्राथमिक शिक्षक खेल	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यताप्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ बीपीएड/ बीपीई।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
8.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	कम से कम 50% अंकों के साथ विज्ञान संकाय में हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा डी.एल.डी/ डी.एड या बी.एड में पत्रोपाधि।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। 3. ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होंगें उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
9.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन/वादन/नृत्य से डिप्लोमा अथवा बी.म्यूज/एम म्यूज/विद्/ कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।

नोट.- सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 एवं आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में अंकित माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संबंध में NCTE द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी।

अनुसूची-चार
(नियम 15 और 16 देखिए)
पदोन्नति समिति (शैक्षणिक संवर्ग)

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	प्राचार्य हाईस्कूल/उप प्राचार्य	05 वर्ष	(1) आयुक्त, जनजातीय कार्य -अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य- सदस्य (3) अपर संचालक/उपायुक्त जनजातीय कार्य - सदस्य (4) सहायक आयुक्त/ सहायक संचालक, जनजातीय कार्य- सदस्य सचिव	
2.	1. माध्यमिक शिक्षक 2. प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त, जनजातीय कार्य - अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य- सदस्य (3) अपर संचालक/उपायुक्त जनजातीय कार्य - सदस्य (4) सहायक आयुक्त/ सहायक संचालक, जनजातीय कार्य- सदस्य सचिव	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
3.	माध्यमिक शिक्षक खेल	कोच	05 वर्ष	(1) आयुक्त, जनजातीय कार्य -अध्यक्ष (2) अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य- सदस्य (3) अपर संचालक/उपायुक्त जनजातीय कार्य - सदस्य (4) सहायक आयुक्त/ सहायक संचालक जनजातीय कार्य- सदस्य सचिव	एम.पी.एड/न्यूनतम एक वर्षीय एन.आई.एस.प्रशिक्षण प्राप्त माध्यमिक शिक्षक खेल को कोच के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
4.	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य - अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य - सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल -सदस्य (4) सहायक संचालक - सदस्य सचिव	

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभियुक्तियां
5.	1. प्राथमिक शिक्षक 2. प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 3. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य - अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य - सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल -सदस्य (4) सहायक संचालक - सदस्य सचिव	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि धारित करने वाले प्राथमिक शिक्षक विज्ञान एवं प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला को माध्यमिक शिक्षक विषय के पद पर पदोन्नत किया जाएगा ।
6.	प्राथमिक शिक्षक/ प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य - अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य - सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल -सदस्य (4) सहायक संचालक - सदस्य सचिव	
7.	प्राथमिक शिक्षक खेल	माध्यमिक शिक्षक खेल	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य - अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य - सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल -सदस्य (4) सहायक संचालक - सदस्य सचिव	
8.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/नृत्य)	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन/ नृत्य)	05 वर्ष	(1) संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य - अध्यक्ष (2) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य – सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल- सदस्य (4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	पदों की संख्या के अनुपात में

नोट: -

(1) शिक्षकों के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों एवं प्राथमिक शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान अथवा ततस्थानी उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग्य पाए जाने पर इन नियमों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति देय होगी।

(2) क्रमांक-1 के कॉलम-3 पर अंकित प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले लोक सेवक की पदस्थापना अनिवार्य रूप से तीन वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। इस अवधि में पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाणपत्र देने वाली किसी मान्यताप्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किए जाने पर, परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर

संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नही करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(3) शासन के पत्र क्रमांक एफ 4-581/99/1/25 आदेश भोपाल, दिनांक 10/11/1999 के माध्यम से विभागीय संरचना में सीधी भर्ती के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक एवं व्याख्याता के पद को 'डाइंग केडर' घोषित किया गया है, इन आदेश के उपबंधों के अनुसार पदों पर कार्यरत शिक्षको की पदोन्नति पूर्ववत् भरती नियमों के उपबंधों के अनुसार विभाग द्वारा की जाती रहेगी।

(4) शासन के पत्र क्रमांक एफ 4-581/99/1/25 आदेश भोपाल, दिनांक 10/11/1999 के अनुक्रम में विभाग अंतर्गत वर्तमान में जो व्याख्याता कार्यरत हैं, उन्हें प्राचार्य हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक शिक्षक की पदोन्नति प्राचार्य हाई स्कूल पद पर की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिशा प्रणय नागवंशी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.